

**कार्यालय जापन**


**विषय:- गैराज आबंटन के लिये आवेदन पत्रों का आमंत्रण।**

संस्थान की आवास आबंटन समिति की अनुशंसा एवं निदेशक महोदय के अनुमोदनानुसार संस्थान के इच्छुक सहकर्मियों से गैराज आवास आबंटन के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। डी टाईप आवासों को गैराज की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार निम्न 6 जोन में विभाजित किया गया है:

जोन संख्या	आवास संख्या	कुल आवास	गैराज की संख्या
1	डी-1 से डी-8	08	02 (गैराज नम्बर 1 व 2)
2	डी-9 से डी-16	08	02 (गैराज नम्बर 3 व 4)
3	डी-17 से डी-23	07	02 (गैराज नम्बर 5 व 6)
4	डी-24 से डी-27	04	03 (गैराज नम्बर 7,8 व 9)
5	डी-28 से डी-35 एवं डी-45	09	06 (गैराज नम्बर 10,11,12,13,14 व 15)
6	डी-36 से डी-43 एवं डी-46 से डी-49	12	06 (गैराज नम्बर 16,17,18,19, 20 व 21)

गैराज के लिए के लिए पात्रता निम्नवत् है:

1. गैराज आबंटन हेतु संबंधित सहकर्मी के पास अपने नाम कार होना आवश्यक होगा।
2. गैराज का आबंटन संबंधित सहकर्मी को भौगोलिक स्थिति अनुसार विभाजित जोन के अनुसार किया जाएगा।
3. यदि किसी जोन में गैराज रिक्त है तथा आवेदकों की अनुपलब्धता की स्थिति में नजदीकी जोने वाले आवेदकों को गैराज आबंटित किया जा सकता है। बशर्ते कि संबंधित जोन के आवेदन आने पर उन्हें एक माह की सूचना पर गैराज रिक्त करना होगा।
4. गैराज आबंटन हेतु पात्र सहकर्मी नियमानुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं तथा प्रार्थमिकता आवेदन की तिथि के आधार पर होगी।
5. यदि एक गैराज/जोन के लिए एक दिन में दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें आबंटित डी-टाईप आवास को ग्रहण करने की तिथि के आधार पर प्रार्थमिकता तय होगी।
6. गैराज परिवर्तन आपसी सहमति से नजदीकी जोन में कर सकते हैं।
7. रिक्त गैराजों की सूचना संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

  
(जय शंकर शरण)  
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक कार्यालय
2. अध्यक्ष आवास आबंटन समिति
3. सूचना पट्ट
4. ए.आई.टी.जी अनुभाग - वेबसाइट पर लगाने हेतु